



मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

## न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. रामगोपाल पिता सुवालाल राव निवासी कोचरिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रतनसिंह पिता लक्ष्मणसिंह जी चुण्डावत उम्र वयस्क निवासी कोचरिया, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. महेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह जी राठौड उम्र वयस्क निवासी आमेसर, तह0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3. देवीसिंह पिता जगन्नाथसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवासी कोचरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा
5. उपपंजीयक कारोई, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 एवं 188-92ए रा0टी0ए0

प्रकरण संख्या 01/2021 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री भैरूलाल जी बापना अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 03.04.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 एवं 92क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
3/4/25

(अरुण कुमार जैन)

सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा